

२४/१/२१

वादी एवं वकील वादी उपस्थित नहीं।
बार-बार आवाज दिलाई गई। किन्तु कोई
उपस्थित नहीं आया। ऐसी स्थिति में
दावावादी अदम हाजिरी एवं अदम परवी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)